

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

Ph. & Fax No. 07781-252483

E-Mail ID – cmhonpur@gmail.com

कमांक/2664/DMF/मु.चि.अ/2026-27

नारायणपुर, दिनांक 6/8/2026

—: वॉक –इन– इन्टरव्यू :—

जिला खनिज न्यास निधि मद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ओरछा में स्वास्थ्य सुविधा के सृदणीकरण हेतु रेडियोग्राफर के पद पर संविदा भर्ती किया जाना है, संविदा आधार पर भर्ती करने हेतु वॉक–इन –इन्टरव्यू किया जाना है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0 दिनांक 18.08.2026 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएँ निम्नानुसार है:-

स. क.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक वेतन	श्रेणीवार रिक्त पद			
				ST	SC	OBC	UR
1	रेडियोग्राफर	01	14000	01	0	0	0
	कुल	01		01	0	0	0

अनिवार्य शैक्षणिक/व्यवसायीक अर्हता एवं चयन का आधार

क.	पद का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हता	चयन का आधार
1	रेडियोग्राफर	12 th Biology with X-ray Technicians Course [Registration in Chhattisgarh Paramedical Council.	शैक्षणिक योग्यता का 70 प्रतिशत एवं 10 अंक अनुभव का (प्रत्येक वर्ष 02 दिया जावेगा) (अधिकतम 5 वर्ष) तथा साक्षात्कार –20 अंक

- टीप:- 1. योग्यताधारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर में दस्तावेज के साथ दिनांक 18.08.2026 को आवेदन जमा करेंगे। निर्धारित समय के पश्चात आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
2. नियम व शर्तें तथा अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल एवं www.narayanpur.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।

संविदा भर्ती के संबंध में महत्व पूर्ण शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-

- आवेदक जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में विज्ञापन अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान (केन्द्र व छ.ग. शासन का उपक्रम) का ही मान्य होगा। पद से संबंधित कार्यानुभव पर प्रति वर्ष 02 अंक व अधिकतम 10 अंक वर्ष पूर्ण होने पर ही 01 वर्ष की गणना की जावेगी। (आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय का आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होना, कार्यालय का ओदश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।)
- जिले के स्थानिय निवासी को प्राथमिकता दिया जावेगा, जिले में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य जिले से चयनित किया जावेगा।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- स्थानीय भाषा (गोण्डी, हल्बी,) का ज्ञान होना चाहिए।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से संलग्न किया जावे।
- निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करें। (1) आवेदन पत्र (2) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (3) जाति प्रमाण पत्र (4) निवास प्रमाण पत्र (5) रोजगार पंजीयन (6) अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र (7) अन्य प्रमाण पत्र

08. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाये अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
09. मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय प्रावधानित देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
10. दस्तावेजों कमी को दावा आपत्ति के अंतिम दिनांक तक जमा करना अनिवार्य होगा।
11. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव एक ही समय का होने पर अभ्यर्थी को अपात्र किया जायेगा।
12. उक्त पदों की संविदा नियुक्ति 01 वर्ष तक के लिए होगी, तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा में नियुक्त व्यक्ति के उपयुक्तता के ऑकलन कर संविदा में वृद्धि करने का निर्णय ले सकेगी।
13. प्रतीक्षा सूची के वैधता एक वर्ष की होगी।
14. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, इसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी का त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन जमा करना होगा।
15. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी व अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करने पर संबंधित को अपने मूल पदस्थापना स्थल में निर्धारित समयावधि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगी।
16. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
17. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार अध्यक्ष/ कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला नारायणपुर को होगा, जो सभी को मान्य होगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीयसंस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा।
19. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी, प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी अवलोकन कर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पायी जावेगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी, त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
20. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
22. भविष्य में पदों की संख्या घटायी एवं बढ़ायी जा सकती है।
23. आवेदन पर में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं स्वयं सत्यापित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
24. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में संबंधित संस्था का नाम डिस्पैच क्रमांक/दिनांक किस पद का अनुभव है एवं कब से कब तक का अनुभव है, का नियोक्ता द्वारा जारी होना आवश्यक है जिसमें स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र विचारणीय नहीं होगा।
25. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये गये अनुसार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा।

क्र०	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	साक्षात्कार परीक्षा किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	01 से 10 तक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 तक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना

26. आयु सीमा – 01 जनवरी 2026 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु 64 वर्ष प्रबंधकीय पद पर होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 से की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार के छूट शामिल है।
27. नियुक्ति उपरांत समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कराया जावेगा किसी प्रकार की दस्तावेजों में विपरीत या प्रतिकूल प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।
28. दस्तावेज जांच के दिन निम्नानुसार मूल अभिलेखों के सहित अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-
 1. दसवी का अंकसूची
 2. स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची
 3. संबंधित डिग्री/डिप्लोमा
 4. संबंधित कौंसिल का पंजीयन

5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र
7. निःशक्तता प्रमाण पत्र (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
8. अनुभव प्रमाण पत्र :- यह केवल शासकीय संस्थान का ही मान्य होगा।
29. जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। (छायाप्रति संलग्न करें)।
30. चयन प्रक्रिया व साक्षात्कार
अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर तैयार की जावेगी -
 - अ. शैक्षणिक योग्यता - 70 प्रतिशत।
 - ब. अनुभव अंक - 10 अंक (अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 02 अंक दिया जावेगा।)
अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान (केन्द्र व छ.ग. शासन का उपक्रम) का ही मान्य होगा। आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय का आदेश पत्र, सील व हस्ताक्षर सहित मूल आदेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, कार्यालय का आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
 - स. साक्षात्कार परीक्षा - 20 अंक
निर्धारित 20 अंक में से आवेदक के 30 प्रतिशत अंक (06 अंक) लाना अनिवार्य है। 30 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले आवेदक अपात्र होंगे।
31. मेरिट के आधार अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने की दशा में उक्त अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जावेगा।
32. परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् 1 वर्ष तक के लिए प्रतीक्षा सूची वैध रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- नारायणपुर (छ0ग0)

प्रति,

आवेदित पद का नाम.....

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में)

2. पिता / पति का नाम

3. जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में)

4. आयु दिनांक 01/01/2026

(प्रमाण पत्र/अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

5. जाति (अजजा/अजा/अपिव/सामान्य)

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

मोबाईल नम्बर :

7. स्थायी पता

8. रोजगार कार्यालय का नाम एवं एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदक आयु सीमा में छूट चाहते हैं यदि हों तो किस श्रेणी से उल्लेख करें ।

10. क्या आवेदक छ०ग० राज्य का मूल निवासी है

यदि हों तो समक्ष अधिकारी द्वारा मूल निवासप्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।:.....

11. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति /

जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है हों/नहीं । यदि हों तो समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

12. क्या आवेदक विकलॉग है ।

13. विकलांग का प्रकार एवं प्रतिष्ठत

(मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे

14. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है हाँ/नहीं

यदि हाँ तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें :

15. भाषा का ज्ञान (गोण्डी एवं हल्बी)

16. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता :

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि./ संस्थान	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत

17. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान का कार्यानुभव :-

क्र०	पद का नाम	कार्यालय/संस्थान का नाम	कुल कार्य अवधि	कार्य विवरण	रिमार्क

(कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत है ? हाँ /नहीं यदि हाँ तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें

19. यदि हाँ हो तो वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण और कुल वर्ष :
अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। शासकीय/अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्य अनुभव।

20. क्या आवेदक /आवेदिका के विरुद्ध कोई दण्डित प्रकरण थाने किसी थाने/न्यायालय में अनुसंधान /विचारण हेतु लंबित है। अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1..... | 2..... | 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... | 7..... | 8..... |
| 9..... | 10..... | 11..... | 12..... |

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

—: घोषणा पत्र :-

“मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी /अभिलेख असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी /नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।”

आवेदक /आवेदिका नाम

हस्ताक्षर व पूर्ण पता

स्थान :

दिनांक :